



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा आजीवन सश्रम कारावास तथा 20000 रुपये के अर्धदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 02.10.2016 अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना विरोध करने पर दुपट्टे से गला कसकर मार देने पर मु०अ०सं० 694/16 धारा 302, 376, 511 भादवि 3/4 पाक्सो एकट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी पर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.06.2026 को माननीय न्यायालय एसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को *आजीवन सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्धदण्ड की* सजा सुनाई गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को *आजीवन सश्रम कारावास की सजा।*
- अभियुक्त को *20,000/- रुपये अर्धदण्ड, अर्धदण्ड अदा न करने 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा।*

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- रमेश कुमार यादव पुत्र कालिका प्रसाद यादव निवासी बहोरिकपुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।



एडीजीसी श्री
यादवेन्द्र सिंह



पैरोकार का० संतोष
कुमार तिवारी

